(५५)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस0 एस0 अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2748–दो/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–8–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 192/अपील/2014–15

विजय कुमार मिश्रा पिता श्री हृदयलाल मिश्रा
निवासी ग्राम बढौरा तहसील गोपदबनास
जिला सीधी म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1. श्रीमती शान्ती देवी पत्नी अखिलेश प्रसाद मिश्रा
   निवासी ग्राम बढौरा तहसील गोपदबनास
   जिला सीधी म0प्र0 म0प्र0 राज्य
2. हृदयलाल मिश्रा तनय श्री त्रिलोचन मिश्रा
   निवासी ग्राम बढौरा तहसील गोपदबनास
   जिला सीधी म0प्र0

——— अनावेदकगण

.....

श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक आवेदक
श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, अनावेदक कं 1
श्री सुनील सिंह जौदान, अभिभाषक, अनावेदक कं 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 04 अप्रैल 2017 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–8–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार गोपदबनास के न्यायालय में ग्राम बढौरा की आराजी किता 5 कल रकवा 0.79 हे0 एवं ग्राम चूल्ही की आराजी किता एक रकवा 0.10 हे0 का बटवारा किये

जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसपर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 29–11–14 को वादग्रस्त बटवारा स्वीकार किया गया। विचारण न्यायालय के इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 11–12–2014 को अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आदेश दिनांक 24–8–16 के द्वारा अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये। अपर आयुक्त के आदेश इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि उभय पक्षों के मध्य हुये आपसी बटवारे दिनांक 09–3–08 के आधार पर तहसील न्यायालय ने आदेश दिनांक 29–12–12 के द्वारा बटवारा स्वीकार किया गया था। पूर्व में हुये बटवारे के आधार पर पूर्वी भाग अखिलेश प्रसाद तथा पश्चिम तरफ का भाग आवेदक विजय कुमार को दिया गया था। उसी अनुसार दोनों भाईयों का अलग–अलग कब्जा प्राप्त कर रह रहे थे। उसी अनुसार तहसीलदार तीन साल बा दिनांक 29–12–12 के द्वारा अन्य भूमियों सहित उक्त भूमि का भी खाता विभजन व अलग नामांतरण का आदेश पारित किया गया। तहसीलदार के आदेश को अनुविभागीय अधिकारी ने स्थिर रखा है। अनावेदिका शांती देवी 792 के अंश भाग 029 हे0 बावत इस आशय की दायर किया कि उक्त भूमि का विकय पत्र अनावेदक कमांक 2 हृदयलाल ने अनावेदक कमांक शान्ती देवी के पक्ष में निष्पादित कराया था इस कारण भूमि कं. 792 स्थित ग्राम बढौरा के सम्बन्ध में तहसीलदार बढौरा का आदेश निरस्त किया जाये। नायब तहसीलदार के राजस्व प्रकरण कमांक 23/अ–27/12 में भी मौके में बटवारा पुल्ली पटवारी के माध्यम से तैयार की गई थी जिसकी पुष्टिकरण के सम्बन्ध उनके हस्ताक्षर भी अंकित थे। सहमति से हुये बटवारे को अपील में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार के

आदेश को उचित मानते हुये स्थिर रखा था, परन्तु अपर आयुक्त ने अभिलेख के विपरीत जाकर निष्कर्ष निकालने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि अनावेदिका द्वारा दिनांक 15–7–2008 को रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से अनावेदक कमांक 2 से सर्वे कमांक 792 का अंश रकवा कय किया था। इसके पश्चात अनावेदिका के पक्ष में उक्त भूमि का नामांतरण नायब तहसीलदार के प्रकरण कमांक 13/अ–6/08–09 में पारित आदेश दिनांक 31–3–09 के द्वारा हो चुका है। इसके पश्चात अनावेदिका अपनी भूमि पर काबिज चली आ रही है। आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश को किसी न्यायालय में चुनौती दिये जाने से वह अंतिम हो गया है। यह भी तर्क किया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रकरण में अनावेदिका बटवारा में हितबद्ध पक्षकार थी, परन्तु आवेदक ने उसे बिना पक्षकार बनाये नामांतरण आदेश पारित करा लिया। विचारण न्यायालय द्वारा अनावेदिका को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। विधिवत इश्तहार का प्रकाशन नहीं करा गया और न ही सभी हितबद्ध पक्षकारों/सहखातेदारों के बटवारा पुल्ली पर हस्ताक्षर कराये गये। अधीनस्थ विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी ने इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई थी। इसी कारण अपर आयुक्त ने दोनों आदेशों को निरस्त कर अपील स्वीकार करने में विधिसम्मत कार्यवाही की है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि उसके द्वारा अनावेदिका कमांक 1 को भूमि खसरा कमांक 792 का जुज भाग विकय किया था परनतु आवेदक द्वारा अनावेदिका कमांक 1 को विकय की भूमि एवं मेरी स्वअर्जित भूमि में से 0.43 एकड़ कुल मिलाकर 0.57 एकड़ का गलत व फर्जी बटवारा करा लिया है जिसे अपर आयुक्त ने निरस्त करने

में उचित कार्यवाही की है। यह भी तर्क किया कि उसके बटवारा पर हस्ताक्षर अंकित नहीं है फिर भी तहसीलदार ने बटवारे का अवैधानिक आदेश पारित किया है। अपर आयुक्त का आदेश उचित है अतः निगरानी निरस्त की जाये।

6/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। विचारण न्यायालय में आवेदक द्वारा बटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 के पैत्रिक भूमियों के साथ–साथ अनोदक कमांक 2 की स्वअर्जित भूमि एवं अनावेदक कमांक 2 द्वारा विकय की जा चुकी भूमि को भी शामिल कर आवेदन पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। नायब तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा अनावेदक कमांक 2 के सभी वारिसों को बना पक्षकार बनाये एवं प्रश्नाधीन भूमियों के सभी सहखातेदारों को पक्षकार बनाये बिना बटवारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था। चूंकि तहसीलदार के समक्ष त्रुटिपूर्ण एवं विधि विपरीत आवेदन प्रस्तुत किया जो प्रचलन योग्य नहीं था फिर भी तहसीलदार ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर बिना विचार किये प्रकरण में कार्यवाही करने में अवैधानिकता की गई है। तहसीलदार के अभिलेख में संलग्न बटवारा पुल्ली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त पुल्ली पर सभी सहखातेदारों के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। इन्हीं आधारों पर तहसीलदार का आदेश त्रुटिपूर्ण हो जाने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं था। इसके अतिरिक्त अनावेदक कमांक 2 द्वारा दोनों अपीलीय न्यायालयों सहित इस न्यायालय में इस बात का शपथपत्र प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा वादग्रस्त आराजी को अनावेदिका कमांक 1 शांतिदेवी को विकय किया है। इस महत्वपूर्ण तथ्य पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार के अवैधानिक आदेश की पुष्टि करने में अवैधानिकता एवं विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है। इसी कारण अपर आयुक्त ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तार से विवेचना कर निष्कर्ष निकाला है और दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों

को निरस्त किया है। अपर आयुक्त का आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 24–8–2016 स्थिर रखा जाता है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर